U;k;ky; HkkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy
ikf/kdkjh chdkuj
Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 12@2021

1. करीम बक्स पुत्र अलीमुदीन जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. सदीक खां पुत्र अलीमुदीन जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
3. फरीद खा पुत्र कालू खां जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
4. अब्दुल लतीफ पुत्र कालू खां जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
5. बतूल बानो पुत्री कालू खां जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

ikFkhx.k

cuke

1. सफी मोहम्मद पुत्र गफुर खां जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. लियाकत मोहम्मद पुत्र गफुर खां जाति मुसलमान निवासी कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू ।

vikFkhx.k

mifLFkr%& 1. श्री रामकिशन गोयतान अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री प्रहलाद जाखड अधिवक्ता अप्रार्थीगण

bl U;k;ky; dh vihy l0 23@2021 e
vkn’k fnukd 10-09-2021 d fo:} fj0;| ikFkuk i=
vUrxr /kkjk fofo/k jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

<u>fu.k;</u> दिनांकः–04.08.20222

1. रिव्यु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.2021 के विरूद्व पेश की गयी है ।
2. प्रार्थीगण के अभिभाषक ने रिव्यु प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपनी बहस में निवेदन किया कि वादगत ख0न0 1979 तादादी 8.6800 हैक्टयर, ख0न0 2029 तादादी 1.5600 हैक्टयर, ख0न0 2031 तादादी 2.9500 हैक्टयर, ख0न0 2032 तादादी 0.1300 हैक्टयर व ख0न0 2033 तादादी 0.3200 हैक्टयर कुल खसरा पांच तादादी 13.6400 हैक्टयर संयुक्त खातेदारी की रोही कस्बा राजगढ में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी शुद्वा है जिस बाबत इस न्यायालय के द्वारा अपील सं0 46/2018 अनुवान अलीनूर मोहम्मद आदि बनाम करीम बक्स आदि के आदेश दिनांक 14.03.2019 को प्रकरण प्रतिप्रेषित रिमाण्ड कर अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया गया कि वादगत कृषि भूमि में जमाबंदी एव रेकार्ड के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मोके पर काबिज है के अनुसार तहसीलदार उसी हिसाब से प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवावे । विभाजन प्रस्ताव मोके पर मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में मंगवाया जाकर निर्णय व डिक्री पारित करे इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की निगरानी सं0 1708/2019 अनुवान अलीनूर बनाम करीम बक्स आदि में भी विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के द्वारा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जाकर निर्णय व डिक्री पारित करें । इन्ही दोनो आदेशो की पालना में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.03.19 को विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर वहां उपस्थित पक्षकारानों के हस्ताक्षर करवा व सभी पक्षकारानों को जरिये रजिस्ट्री डाक से समन भिजवा नियमानुसार कार्यवाही कर विभाजन प्रस्ताव के बाद बहस निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2021 पारित की है। उक्त आदेश को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2021 को जरिये स्थगन आदेश के रूकवा दिया गया है । एक तरफ तो यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को अपने आदेश दिनांक 14.03.2019 के द्वारा निर्णय व डिक्री जारी करने हेतु आदेशित किया जाता है ओर अपने ही आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2021 को जारी डिक्री को जरिये स्थगन रूकवाया गया जो दोनो निर्णय आपस में विरोधाभाषी है अतः इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 10.09.2021 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2021 की पालना को करवाने का आदेश जारी करावें ।

3. अप्रार्थीगण पक्ष के योग्य अभिभाषक ने प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत वादगत खाता सं0 18 ख0न0 1979 तादादी 8.6800 हैक्टयर, ख0न0 2029 तादादी 1.5600 हैक्टयर, ख0न0 2031 तादादी 2.9500 हैक्टयर, ख0न0 2032 तादादी 0.1300 हैक्टयर व ख0न0 2033 तादादी 0.3200 हैक्टयर कुल खसरा पांच तादादी 13.6400 हैक्टयर संयुक्त खातेदारी की रोही कस्बा राजगढ में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का 1/4 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी शुद्वा है जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके के कब्जा काश्त के विपरित जाकर प्रस्ताव तैयार कर निर्णय व अतिंम डिक्री जारी की है जो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.2019 की पालना के बिल्कुल विपरित जाकर निर्णय व डिक्री तैयार की गयी है । इस न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.03.19 में यह स्पष्ट निर्देश दिये थे कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्रस्ताव मंगवाये जाते है वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार की उपस्थिति में मौके के कब्जा काश्त व सभी पक्षकारों की उपस्थिति में उनसे साक्ष्य व सबुत प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है वो महज खाना पुर्ति कर तैयार किया गया है जिसमें हल्का पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव बनाया गया है इस विभाजन प्रस्ताव में सभी पक्षकार उपस्थित नही रहे है । अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब ही नही किया गया है ओर ना ही विभाजन प्रस्ताव पर खातेदारान के हस्ताक्षर करवाये गये है । फर्द मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति के बिना ही तैयार किया हुआ है । विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई आपत्ति नही मांगी गयी है ओर ना ही पक्षकारान को साक्ष्य व सबुत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है । अप्रार्थीगणो को निमयानुसार जरिये समन के तलब नही किया गया। अप्रार्थी/प्रतिवादी की उपस्थिति के बिना ही विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर निर्णय व अतिंम डिक्री जारी कर दी । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रतिपादित नियम 18 से 21 की पालना भी निर्णय व डिक्री में नही की गयी । दोराने वाद में प्रतिवादी सं0 6 कासम खां पुत्र मनीर खां का स्वर्गवास दिनांक 22.04.2021 को हो गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके वारिसानों को रेकार्ड पर न लिया जाकर ना ही उन्हे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जो न्यायोचित नही है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज की जावे व इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2021 को यथावत रखा जावे ।
4. हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.03.2019 के अवलोकन से यह साबित होता है कि विभाजन प्रस्ताव केवल हल्का पटवारी की उपस्थिति में तैयार किया गया है जिस पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर अंकित है । तहसीलदार व नायब तहसीलदार स्तर का कोई भी अधीकारी मौके पर उपस्थित रहकर विभाजन प्रस्ताव को तैयार नही करवाया गया है । विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय केवल वादीगणों के ही हस्ताक्षर करवाये गये है । अप्रार्थी/प्रतिवादीगणों के एक भी पक्षकार के हस्ताक्षर विभाजन प्रस्ताव पर

नही करवाये गये है । प्रतिवादी सं0 6 कासम पुत्र मनीर खां के स्वर्गवास दिनांक 22.04.2021 दोराने दावा हो गया था जिसके वारिसानों को रेकार्ड पर नही लिया गया ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया इस तरह से मृत व्यक्ति के विरूद्व निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जो न्यायोचित नही है । इस तरह से इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 14.03.2019 की पालना निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व नही की गयी है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तत रिव्यु प्रार्थना को खारिज किया जाता है एव इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.2021 को यथावत रखा जाता है । प्रार्थना पत्र नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।
6. निर्णय आज दिंनाक 04.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkM+h½
Hkwizca/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj